संख्या-203/2016/988/22-2-2016-17(165)/2012

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अक्टूबर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीश कुमार उर्फ बब्लू पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल, निवासी-जनपद-फिरोजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17010/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/19-05-2016 दिनांक 01-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीश कुमार उर्फ बब्लू पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल, निवासी-जैन गली हाल-165/10 निथाजी बस्ती टूण्डला, थाना-टूण्डला, जिला-फिरोजाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जेवरात लूटने के इरादे से दिनांक 02.01.1997 को धारदार हथियार से राजकुमारी की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/97 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 19-12-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.05.2016 तक 19 वर्ष 03 माह 11 दिन की अपरिहार एवं 24 वर्ष 04 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यापक रूप से जनता को प्रभावित करता है, बन्दी द्वारा रिहाई के बाद पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है, अपराध करने में सशक्त है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी हरीश उर्फ बब्लू द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से एवं व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बन्दी नवयुवक है पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होता है, बन्दी के परिवार में केवल उसकी माँ एवं भाई जो जयपुर (राज0) में रहते हैं सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य है बन्दी की समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी हरीश कुमार उर्फ बब्लू (बन्दी संख्या-6245) पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-203/2016/988/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in